

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।  
पत्रांक 1672/ओबरा/33 दिनांक, 06-01-2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

**विषय:-** 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रस्तावित 19.968हे0 (वर्तमान में 7.5118हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या -FP/UP/TRANS/44753/2020)

**सन्दर्भ:-** अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक-1526/वि0प्रे0ख0(गा)/दिनांक-10.09.2021, इस कार्यालय के पत्रांक-1105/ओबरा/33 दिनांक-25.10.2021 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक-2031/मी0क्षे0/33 दिनांक-28.10.2021.

**महोदय,**

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न कर, इस कार्यालय के पत्रांक-1105/ओबरा/33 दिनांक-25.10.2021 द्वारा आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त आपके कार्यालय के पत्रांक-2031/मी0क्षे0/33 दिनांक-28.10.2021 द्वारा आपत्ति लगाते हुए, आपत्ति का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:-


क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	उप सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0 322/14-2-94-700(2)/97 दिनांक-01.01.1999 के शर्त संख्या 3 के अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि की भा0व0अधि0 1927 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने की स्थिति।	उप सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0 322/14-2-94-700(2)/97 दिनांक-01.01.1999 के शर्त संख्या 3 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रभावित होने वाले वन भूमि 19.968हे0 के सापेक्ष समतुल्य गैर वन भूमि प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत तहसील- घोरावल, परगना-बड़हर के ग्राम-पुरना में उपलब्ध करायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित नहीं कराया गया है।
2	उप सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-322/14-2-94-700(2)/97 दिनांक-01.01.1999 के शर्त संख्या 12 के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट कब तक	उप सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-322/14-2-94-700(2)/97 दिनांक-01.01.1999 के शर्त संख्या 12 के अनुसार प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रिमीयम का 10 प्रतिशत

	<p>जमा किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावक के पत्र संख्या-1750 दिनांक-13.10.2021 जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, में उल्लेख है कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लीज रेंट प्रभाग स्तर से मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। लीज रेंट भुगतान के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-956/ओबरा/ 33 दिनांक-06.10.2021 द्वारा प्रश्नगत लीज रेंट वर्ष 2019-20 तक भुगतान किये जाने तथा वर्ष 2020-21 की लीज रेंट जमा किया जाना शेष है, उल्लेख किया गया है। प्रस्तावक के अनुसार वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लीज रेंट किन परिस्थितियों में मांग नहीं की गयी। बिलम्ब की स्थिति में ब्याज की देयता हेतु कौन उत्तरदायी है। स्पष्ट करें।</p>	<p>वार्षिक लीज रेंट की धनराशि मु० 1,85,552.00 रुपये का भुगतान वर्ष 2019 तक लगातार किया गया है। वर्ष 2019-20 व 2020-21 तक के बकाया लीज रेंट की मांग न करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 400 के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन में तत्समय में 19.968हे० वन भूमि प्रभावित था। (धारा 4 की भूमि को वन भूमि मानते हुए) वर्तमान में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में हुए सर्वे रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा कुछ क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया तथा धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक क्षेत्र को छोड़ते हुए ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ऐसे में विषयक पारेषण लाईन में वर्तमान में 19.968हे० वन भूमि के स्थान पर 7.5118हे० वन भूमि प्रभावित हो रहा है। विषयक प्रस्ताव में वर्तमान स्थिति के अनुसार वन भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण वर्ष 2019-20 व 2020-21 तक के बकाया लीज रेंट की मांग करने में बिलम्ब हुआ है। महोदय को अवगत कराना है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 का बकाया लीज रेंट का भुगतान करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1240/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक- 16.11.2021 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बकाया लीज रेंट का भुगतान प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2022 तक कर दिया जायेगा।</p>
3	<p>प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p>	<p>वन्य जीव अभ्यरण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 52 पर संलग्न किया गया है, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।</p>
4	<p>प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्नक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव धारा 4 में विज्ञापित भूमि वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे० क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार किया गया था तथा धारा 20 की अधिसूचना के पश्चात 7.5118हे० प्रभावित हो रही है। इस प्रकार 12.4562हे० वन भूमि कम पाया गया। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रेषित करें।</p>	<p>निर्धारित प्रारूप में सूचना संलग्न है, संलग्नक-1।</p>

5	<p>प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या 27 पर धारा 20 की गजट की प्रति में उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल से मिलान करने पर निम्न त्रुटियां पायी गयी हैं:-</p> <p>(क) गजट में गाटा संख्या 6013 क्षेत्र 0.038 हे० एवं गाटा संख्या 6014 क्षेत्र 0.051 हे० कुल 0.089 हे० है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 0.3453 हे० उल्लेख किया गया है।</p> <p>(ख) गजट में गाटा संख्या 5824 नहीं है, जबकि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।</p> <p>(ग) गजट में गाटा संख्या 6221 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।</p> <p>(घ) गजट में गाटा संख्या 6221 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।</p> <p>(ङ) गजट में गाटा संख्या 5575 नहीं है आप द्वारा 5575 उल्लेख किया गया है।</p> <p>(च) गजट में गाटा संख्या 2327 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2327 उल्लेख किया गया है।</p> <p>(छ) गजट में गाटा संख्या 2328 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2328 उल्लेख किया गया है।</p> <p>(ज) गजट में गाटा संख्या 5586 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 5586 उल्लेख किया गया है।</p>	संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्न है।
6	<p>प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 338/11-सी दिनांक-29.07.2021 द्वारा वन भूमि के समस्त प्रस्ताव की हार्ड कापी के साथ-साथ प्रस्ताव के पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी०डी०एफ० फाईल पेन ड्राईव तीन प्रतियों में प्रेषित नहीं किया गया है।</p>	प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी०डी०एफ० फाईल पेन ड्राईव में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	<p>प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल प्रारूप में संलग्न नहीं है।</p>	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26 पर संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

o/L

भवदीय  
  
 (प्रकाश मिश्र)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

400 के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु लीज पर हस्तान्तरित भूमि के क्षेत्रफल का विवरण:-

पूर्व के प्रस्ताव से उल्लेखित क्षे०-19.968 हे०				वर्तमान के प्रस्ताव में उल्लेखित क्षे०-7.5118 हे०				
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि की आराजी सं०	प्रभावित वन भूमि की क्षे० (हे०) में	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि की आराजी सं०	प्रभावित वन भूमि की क्षे० (हे०) में	अन्तर (4-7)	अन्तर का कारण
1	2	3	4		5	6	7	8
डाला	बिल्ली मारकुण्डी	6010, 6013, 6014	0.3453	बिल्ली मारकुण्डी	6010, 6013, 6014	0.3453	0.98	400 के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वर्ष 1999 में कुल 19.968हे० वन भूमि (धारा 4 की भूमि सम्मिलित करते हुए) 20 वर्ष के लिए लीज स्वीकृत किया गया था, वर्ष 2019 में लीज अवधि समाप्त हो चुका है। अवगत कराना है कि ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-20.11.1986 के क्रम में हुयी, सर्वे रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही के दौरान एफ०एस०ओ०/ए०डी०जे० द्वारा धारा 4 से पृथक भूमि को छोड़ते हुए, दिनांक-15.06.2020 को ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो चुका है। धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत परियोजना हेतु तत्समय में स्वीकृत 19.968हे० वन भूमि में से कालम संख्या 7 में उल्लिखित 12.4562हे० भूमि धारा 20 की अधिसूचना से पृथक है। इसलिए लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में 7.5118हे० वन भूमि लिया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि का विवरण कालम संख्या 6 में है।
		5924	0.1454		5924	0.1454		
		6221मि०	4.7087		6221मि०	4.7087		
		5116	0.7521		5116	0.7521		
		5118	0.98		5118	-		
		5071	0.1683		5071	-		
		5511मि०, 5504	0.1723		5511मि०, 5504	0.1723		
		5586मि०, 5587, 5631	0.5252		5586मि०, 5587, 5631	0.5252		
		2327ख	11.9199		2327ख	0.6120		
		2328ख	0.2508		2328ख	0.2508		
		योग	19.968		योग	7.5118हे०		
						12.4562		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

प्रभाग प्रमुख वन अधिकारी  
ओबरा वन प्रभाग  
ओबरा-सोनभद्र